NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : NCRES/42/21

Date : 9.2.2021

डा0 एम. राघवैय्या जी
महामंत्री–एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली

विषयः– उत्तर प्रदेश के रेलवे लाभार्थी मरीजों को CT स्कैन के लिये लखनऊ के रेलवे मंडल चिकित्सालय में ही आवश्यक रूप से रिफर किये जाने के रेलवे बोर्ड के अव्यवहारिक आदेश को रद्द कराने हेतु।

संदर्भः– रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2021/Health/Misc दिनांक 6.1.2021

महोदय,

अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा नार्थ सेन्ट्रल रेलवे को अवगत कराया है कि उत्तर रेलवे, के लखनऊ मंडल चिकित्सालय में 128 स्लाइस की एक CT स्कैन मशीन कार्यरत है, और निर्देश दिया है कि CT स्कैन के लिये सभी मरीजो को लखनऊ मण्डल चिकित्सालय रिफर किया जाय, इसीलिये प्रयागराज मण्डल, झांसी मण्डल और आगरा मण्डल के मरीज CT स्कैन के लिये लखनऊ भेजे जा रहे है, परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है।

अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रयागराज से लखनऊ 200 KM, आगरा से 326 KM और झांसी से 292 KM है, वर्तमान में प्राईवेट लैब से CT स्कैन कराने में रेलवे को CGHS रेट के अनुसार मात्र 850 रूपये का भुगतान करना पड़ता है और बोर्ड के आदेश दिनांक 6.1.2021 के अनुसार अब रेलवे को लखनऊ के मण्डल चिकित्सालय से CT स्कैन मुफ्त में कराने के लिये रेलवे को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 2 लोगो को आने–जाने का मुफ्त मेडिकल पास दे रहा है जिसकी मनी वैल्यू हजारो रूपये है। इसके अतिरिक्त मरीज को वाहन एवं होटल का हजारो रूपये खर्च करना पड़ रहा है और रिपोर्ट भी अगले दिन मिल पाता है जिसके कारण मरीजो एवं कर्मचारियों दोनो को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस सम्बन्ध में NCRES का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के लिये रेलवे का खर्च बचाने के उद्देश्य से किया गया यह आदेश न केवल अव्यवहारिक है बल्कि रेलवे का खर्च बढ़ाने के साथ मरीजो के स्वास्थ से खिलवाड़ करना है।

रेलवे बोर्ड के आदेश दिनांक 6.1.2021 के पूर्व की स्थिति का विश्लेषण करने पर हम यह पाते है कि अपने शहर में रेलवे के रिफरल CT स्कैन सेन्टर से CT स्कैन कराने के बाद जिस मरीज का इलाज एक दिन बाद शुरू किया जा रहा था उसे अब लखनऊ भेजकर CT स्कैन कराने एवं रिपोर्ट प्राप्त कर अपने रेलवे डाक्टर को दिखाने में 4–5 दिन से ज्यादा का समय लग जाता है जिससे मरीज को जान का भी खतरा उत्पन्न हो गया है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड से वार्ता कर रेलवे बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांक 6.1.2021 को रद्द कराने की कृपा करे ताकि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के मरीजो का उचित ढ़ंग से इलाज हो सके और कर्मचारियों का आक्रोश खत्म हो सके।

संलग्न : रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक 06.1.2021

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड

No. 2021/Health/Misc. New Delhi, dated: 06 01.2021

Principal Chief Medical Directors
Northern Railway, New Delhi
North Central Railway, Allahabad
North Eastern Railway, Gorakhpur
East Central Railway, Hazipur
&
Principal Chief Medical Officer
RDSO, Lucknow

Sub: Referral of Patient for CT Scan to Northern Railway Divisional Hospital, Lucknow.

*****

A new 128 slice CT Scan machine has become functional at National Railway Divisional Hospital, Lucknow. This machine has capacity to meet the CT Scan requirement of all railway medical beneficiaries located in Uttar Pradesh.

In view of above, it has been decided that all railway hospitals located in Uttar Pradesh to refer CT Scan cases to Northern Railway Divisional Hospital, Lucknow for CT Scan. Only in exceptional cases for reason(s) to be recorded in writing, cases can be referred to Diagnostic centers other than Northern Railway Divisional Hospital, Lucknow.

This has the approval of Director General (RHS).

06/01/2021

(R.S. Shukla/ आर. एस. शुक्ल)
Director (Health)/ निदेशक, स्वा.
Railway Board/ रेलवे बोर्ड